**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1779**

**28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय:** **आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या**

**श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अभी-अभी खत्म हुए खरीफ के मौसम में आंध्र प्रदेश में करीब 30 किसानों ने आत्महत्या की है और पिछले चार साल का यह आंकड़ा 2000 का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आत्महत्या का मुख्य कारण कृषि ऋण और ऋण माफ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि के वादे को पूरा करने में राज्य सरकार की विफलता है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्या पर सरकार का क्या रूख है, जहां पर वह अनियंत्रित रूप से साल दर साल बनी हुई है और आंध्र प्रदेश में कृषि समुदाय की मदद हेतु क्या योजना है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश के किसानों को कब बचाएगी और किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)**

**(क):** आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि जिला स्‍तरीय त्रिसदस्‍यीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्‍य में वर्ष 2018 के दौरान, 15 किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या की पुष्‍टि हुई है। इसके अलावा, पिछले चार वर्षों अर्थात वर्ष 2014 से 2017 के दौरान राज्‍य में 394 आत्‍महत्‍याओं की सूचना मिली है।

**(ख):** जी, नहीं। विभिन्‍न जिलों की तीन सदस्‍यीय समितियों ने किसान आत्‍महत्‍या के लिए चिन्‍हित किए गए कारण इस प्रकार है: बोरवेल का सूखना, खेती की उच्‍च लागत के साथ वाणिज्‍यिक फसलों में बढ़ोतरी, गैर-लाभकारी मूल्‍य, मौखिक काश्‍तकारी तथा बैंक ऋणों हेतु अपात्रता, उच्‍च ब्‍याज दरों पर निजी साहूकारों से ऋण लेना, कम एवं अनियमित वर्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण विपरीत मौसम परिस्‍थितियां, बच्‍चों की शिक्षा, बीमारी तथा विवाह पर किया गया उच्‍च व्‍यय इत्‍यादि।

आंध्र प्रदेश सरकार ऋण छूट स्‍कीम 2014 का कार्यान्‍वयन कर रही है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्‍न कृषि जिंसों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की गई है ताकि फसलों की खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने हेतु किसानों को प्रोत्‍साहित किया जा सके तथा उत्‍पादकता की वृद्धि पर निवेश किया जा सके। किसानों की आय में बढ़ोतरी करते हुए, सरकार ने वर्ष 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्‍योंकि यह केन्‍द्रीय बजट 2018-19 द्वारा घोषित उत्‍पादन की लागत के कम से कम 150 प्रतिशत स्‍तर पर एमएसपी निर्धारित करने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के वादे की पूर्ति करता है।

**(ग) एवं (घ):** कृषि राज्‍य का विषय है और राज्‍य सरकारें कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मुख्‍य रूप से जिम्‍मेदार हैं। तथापि, भारत सरकार समुचित नीतिगत उपायों और बजटीय समर्थन के माध्‍यम से राज्‍यों के प्रयासों में मदद करती है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान किसानों को फसल ऋण पर “ऋण छूट स्‍कीम” का कार्यान्‍यवन किया है। सरकार ने कृषि के उद्देश्‍य हेतु कृषि फसल ऋण तथा गोल्‍ड ऋण को एक साथ माफ करने हेतु नीति की घोषणा की है जो 1.50 लाख रूपए प्रति परिवार से अधिक न हो।

किसानों की समस्‍या का समाधान करने तथा इसके द्वारा किसानों की आत्‍महत्‍या में कमी करने हेतु आंध्र प्रदेश राज्‍य सरकार ने कदम उठाए हैं तथा राज्‍य भर में विभिन्‍न कल्‍याण स्‍कीमों का कार्यान्‍वयन किया है, जो अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित है:

* मृतक किसान के परिवारों को वित्‍तीय सहायता देना।
* आंध्र प्रदेश भू लाइसेंस काश्‍तकारी अधिनियम 2011।

सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्‍य बना रही है। इसे प्राप्‍त करने के लिए, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग ने कई उपाय किए हैं। सरकार का उद्देश्‍य शुद्ध उत्‍पादन केन्‍द्रित दृष्‍टिकोण के अलावा आय-केन्‍द्रित दृष्‍टिकोण पर ध्‍यान केन्‍द्रित करके कृषि क्षेत्र का पुनर्गठन करना है। इसलिए यह विभाग इस उद्देश्‍य की पूर्ति हेतु विभिन्‍न स्‍कीमों अर्थात् मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी) योजना, नीम लेपित यूरिया, परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्‍ट्रीय कृषि मंडी स्‍कीम (ई-नाम) तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), ब्‍याज छूट स्‍कीम तथा किसान क्रेडिट कार्ड स्‍कीमों का कार्यान्‍वयन कर रहा है। सरकार उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि करने तथा समग्र रूप से क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्‍न केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम अर्थात् राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्‍ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी); राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए); राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिक मिशन (एनएमएईटी) तथा राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का कार्यान्‍वयन कर रही है।

कृषि संकट को कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु इन सभी कदमों को कार्यान्‍वित किया जाता है।

\*\*\*\*\*